राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 53/2018

नागेन्द्र सिंह शेखावत

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान सरकार, अरण्य भवन, झालाना संस्थागत क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
3. उप वन संरक्षक, सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.01.2018
आदेश की दिनांक : 26.09.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : डॉ. एम.एस. कछावा, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 25.04.2017 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को वनरक्षक के पद पर दिनांक 25.10.1997 से पदोन्नत मानते हुए समस्त पारिणामिक लाभ जो उससे कनिष्ठ कार्मिक को दिए गए हैं, उसी तिथी से अपीलार्थी को भी प्रदान किए जावें एवं 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान भी किए जाने के आदेश दिए जावें तथा अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति दिनांक से समस्त लाभ दिए जाने के निर्देश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति दिनांक 16.08.1982 को पशुरक्षक के पद पर वन विभाग में श्रीमाधोपुर, सीकर में हुई थी। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 29.10.1991 की अनुपालना में तथा प्रथम मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 13.01.1992 की अनुपालना में आदेश दिनांक 20.10.1992 द्वारा अपीलार्थी को पशुरक्षक पद पर

दिनांक 01.11.1991 से अर्द्धस्थायी घोषित कर दिया गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 23.05.1996 द्वारा स्थायी घोषित कर दिया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 01.04.1996 को वन विभाग में 10 वर्ष पूर्ण कर लिए थे। आदेश दिनांक 21.10.1997 द्वारा विभाग में कार्यरत उन कार्य–प्राभावित कर्मचारियों के नामों की वन रक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए सिफारिश की, जिन्होंने पहले ही 10, 9, और 8 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली थी। पदोन्नति के लिए अन्य लोगों के अलावा श्री घीसा लाल, जीवन राम, मुक्ति लाई, अर्जुन राम और गोकुल चंद का नाम वन रक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए भेजा गया था लेकिन अपीलार्थी के नाम पर कोई सिफारिश नहीं की गई थी। इसके अलावा संभागीय वन अधिकारी, कोटा द्वारा जारी आदेश दिनांक 25.11.1997 द्वारा ऐसे कार्यप्रभारी कर्मचारियों को वन रक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। आदेश दिनांक 28.08.1999 द्वारा उन सभी कार्य प्रभारित कर्मचारियों, जिन्होंने 7 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है, को वन रक्षक संवर्ग में संविलियन करने की मंजूरी दे दी और इस प्रकार के कर्मचारियों को वन रक्षक के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। अपीलार्थी को दिनांक 02.03.2000 के आदेश के तहत अनुमति दे दी गई तथा उल्लेख किया गया कि अपीलार्थी को 01.04.1998 से अर्द्धस्थायी था और उसने दिनांक 31.03.1997 को 9 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 06.05.2008 के द्वारा कैडर में 18 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने के बाद चयन ग्रेड प्रदान किया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 11.01.2017 को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति के साथ प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। अपीलार्थी के अभ्यावेदन को आदेश दिनांक 25.04.2017 के द्वारा खारिज कर दिया गया। तथा अपीलार्थी ने दिनांक 31.05.2017 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था जिसका आज दिनांक तक कोई निस्तारण नहीं किया गया है, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 25.04.2017 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को वनरक्षक के पद पर दिनांक 25.10.1997 से पदोन्नत मानते हुए समस्त पारिणामिक लाभ जो उससे कनिष्ठ कार्मिक को दिए गए हैं, उसी तिथी से अपीलार्थी को भी प्रदान किए जावें एवं 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान भी किए जाने के आदेश दिए जावें तथा अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति दिनांक से समस्त लाभ दिए जाने के निर्देश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.10.1991 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज. जयपुर के पत्रांक 101–211 दिनांक 13.01.1992 के निर्देशानुसार इन्हे 01.04.1986 से निरन्तर दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 01.04.1996 से स्थायी घोषित किया गया। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज. जयपुर के पत्रांक एफ(1) 90/कार्मिक/प्रमुवसं/18801–30 दिनांक 13.09.1995 की अनुपालना में दिनांक 31.12.1993 तक 10 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण की है एवं स्थायी हो गये है, का विभाग द्वारा वर्कचार्ज कर्मचारियों को वनरक्षक के रिक्त पदों पर समायोजन/नियुक्त किया गया। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 1995–20085 दिनांक 23.09.1995 के प्राप्त दिशा निर्देशानुसार 10 वर्ष की सेवा पूर्ण समायोजन/नियुक्त किया जाना था, तत्समय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 6509–635 दिनांक 12.03.1997 के द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार दिनांक 31.12.1993 तक 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले पात्र वर्कचार्ज कर्मचारियों को वनरक्षक के रिक्त पदों पर ही समायोजन/नियुक्त किया जाना था, परंतु अपीलार्थी की सेवा अवधि 8 वर्ष से कम होने के कारण यह वनरक्षक के पद पर समायोजन/नियुक्ति के पात्र नहीं थे। इस प्रकार इनसे कनिष्ठ किसी भी वर्कचार्ज कार्मिक को वनरक्षक के पद पर समायोजित/नियुक्ति नहीं किया गया था। अपीलार्थी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में दायर रिट एस.वी.सी.डब्ल्यू. पी. संख्या 183/2013 नागेन्द्र सिंह बनाम सरकार दायर की। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा दिनांक 11 जनवरी, 2017 को निर्णित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय में निर्देश दिये गये कि अपीलार्थी को इस संबंध में 10 दिवस में अपने अभ्यावेदन प्रधान मुख्य वन सरंक्षक, जयपुर को प्रस्तुत करें। प्रधान मुख्य वन संरक्षक जयपुर द्वारा 04 सप्ताह में अभ्यावेदन निर्णित करें। अपीलार्थी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर को माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.01.2017 की पालना में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को दिनांक 25.04.2017 को निर्णित किया गया। जिसमें अवगत करवाया गया कि वनरक्षक का पद राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 1963 के नियमों के प्रावधानान्तर्गत आने से कार्मिक विभाग द्वारा राज्य सरकार की जारी अधिसूचना दिनांक 08.06.2010 द्वारा राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 1963 के नियम 22 में संशोधन किया जाकर नियम 22 क

बनाया गया। उक्त नियम 22 के अन्तर्गत वनरक्षकों की सीधी भर्ती लिखित परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से विभाग द्वारा वर्ष 2010–11 एवं 2013 में वनरक्षक के पदों पर अभ्यर्थियों की सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित की जाकर नियमानुसार नियुक्तियां की गई है। तदनन्तर वर्ष 2015 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 2015 बनाया गया है। उक्त नियम की अनुसूची–1 में वनरक्षक के पद पर शत प्रतिशत सीधी भर्ती परीक्षा भर्ती हेतु वन विभाग द्वारा संशोधित विज्ञप्ति क्रमांक एफ 15 (1) 2015/कार्मिक–भर्ती/प्र.मु.व.स./11526 एवं 11527 दिनांक 26.10.2015 द्वारा जारी की गयी है। माह जनवरी 2016 में लिखित परीक्षा सम्पन्न हो चुकी है तथा वर्ष 2016 में लिखित परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लिए जाकर वनरक्षक के 1630 पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है एवं 170 पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वनरक्षक पद के उक्त भर्ती नियमों में कैटल गार्ड (कार्य प्रभारी कर्मचारी) को वनरक्षक पद पर नियुक्ति/समायोजन किये जाने का कोई प्रावधान नहीं होने से कार्य प्रभारित कर्मचारियों को वनरक्षक के पद पर नियुक्ति/समायोजन किये जाने का कोई प्रावधान नहीं होने से कार्य प्रभारित कर्मचारियों को वनरक्षक के पद पर नियुक्ति/समायोजन किया जाना संभव नही हैं। अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के पारित आदेश दिनांक 11.01.2017 की पालना के क्रम में दिनांक 01.02.2017 को कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) जयपुर में प्रस्तुत अभ्यावेदन के अनुसार अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर में प्रस्तुत दायर याचिका एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 183/2013 में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.01.2017 की पालना के क्रम में उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी को वनरक्षक के पद पर नियुक्ति/समायोजन किया जाना संभव नहीं होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 27.01.2017 को एतद् द्वारा निस्तारित किया गया। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब का उल जवाब प्रस्तुत कर बहस की है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग ने बहुत स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि अपीलार्थी को शुरूआत में दिनांक 16.08.1982 को नियुक्त किया गया था, लेकिन पहली नियुक्ति की दिनांक 01.04.1986 मानी गई। एक ओर प्रत्यर्थी विभाग ने स्वयं स्वीकार किया कि अपीलार्थी की नियुक्ति प्रारंभ में दिनांक 16.08.1982 को हुई है और दूसरी ओर उन्होंने कहा कि प्रथम नियुक्ति दिनांक 01.04.1986 मानी गई।

अपीलार्थी ने पहले ही वर्ष 1979 में एक सरकारी स्कूल से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है और अन्य व्यक्ति अर्थात श्री अर्जुन लाल और गोकुल चंद, जिनके पास भी समान योग्यता है, को दिनांक 21.10.1997 के आदेश के अनुपालन में वन रक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए सिफारिश की गई थी। प्रत्यर्थी विभाग ने उन कार्यरत कर्मचारियों के नामों की सिफारिश की थी जिन्होंने 8, 9, व 10 वर्ष सेवा के पूरे कर लिए हो। उनको आदेश दिनांक 25.11.1997 संभागीय वन अधिकारी, कोटा के द्वारा जारी आदेश के विरूद्ध वनरक्षक के पद पर पदोन्त किया जावे। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर ने आदेश दिनांक 28.08.1999 द्वारा उन सभी कार्यरत कर्मचारियों को वन रक्षक संवर्ग में संविलियन करने की मंजूरी प्रदान की तथा इस प्रकार के कर्मचारियों को इस पद पर पदोन्नत किया गया। प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 19.04.2012 को वन रक्षक की वरिष्ठता सूची जारी की जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि श्री हरलाल सिंह, जो दिनांक 19.05.1986 को सरकारी सेवा में नियुक्त हुए हैं, अपीलार्थी के समान अन्य कर्मचारी समान योग्यता रखते है लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने जानबूझकर अपीलार्थी के नाम की अनुशंसा नहीं की। अपीलार्थी आदेश दिनांक 17343–520 दिनांक 28.08.1999 के अनुपालना में पदोन्नति के लिए पात्र नहीं था, जिसके द्वारा दिनांक 31.12.1993 को 7 वर्ष की सेवा पूरी करने वालों को वन संरक्षक के पद विलय/समायोजित करने का निर्देश दिया गया था, पूरी तरह से गलत और निराधार है। प्रत्यर्थी ने उनके द्वारा बताए गए तथ्य को सत्यापित करने के लिए दिनांक 28.08.1999 के आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं की है। प्रत्यर्थी विभाग ने उत्तर दिया कि आदेश दिनांक 23.09.1995 के अनुपालन में अपीलार्थी पदोन्नति के लिए पात्र नहीं था क्योंकि उसने 31.12.1993 तक अपेक्षित 8 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है। यह तथ्य पूरी तरह से गलत है क्योंकि अपीलार्थी को प्रांरभ में 16.08.1982 को नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी ने दिनांक 31.12.1993 को अपनी सेवा के 10 साल पूरे कर लिए थे। उपरोक्त आदेश दिनांक 11.01.2017 की अनुपालना में अपीलार्थी ने दिनांक 27.01.2017 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसमें अपीलार्थी के मामले पर विचार करने और प्रार्थना के अनुसार लाभ देने का अनुरोध किया। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति दिनांक 16.08.1982 को पशुरक्षक के पद पर वन विभाग में हुई थी। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 29.10.1991 की अनुपालना में तथा एवं आदेश दिनांक 13.01.1992 की अनुपालना में आदेश दिनांक 20.10.1992 द्वारा अपीलार्थी को पशुरक्षक पद पर दिनांक 01.11.1991 से अर्द्धस्थायी घोषित कर दिया गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 23.05.1996 द्वारा स्थायी घोषित कर दिया गया। जहां तक अपीलार्थी को दिनांक 25.10.1997 से वनरक्षक के पद पर पदोन्नत न मानते हुए एवं उससे कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति दिए जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि दिनांक 12.03.1997 के द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार दिनांक 31.12.1993 तक 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले पात्र वर्कचार्ज कर्मचारियों को वनरक्षक के रिक्त पदों पर ही समायोजन/नियुक्त किया जाना था, परंतु अपीलार्थी की सेवा अवधि 8 वर्ष से कम होने के कारण यह वनरक्षक के पद पर समायोजन/नियुक्ति के पात्र नहीं थे। इस प्रकार इनसे कनिष्ठ किसी भी वर्कचार्ज कार्मिक को वनरक्षक के पद पर समायोजित/नियुक्ति नहीं किया गया था। अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में दायर रिट एस.वी.सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 183/2013 दायर की गई, जिसके क्रम में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11 जनवरी, 2017 को आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी को विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग को उसका नियमानुसार निस्तारण करने का निर्देश दिया गया, जिसकी अनुपालना में विभाग द्वारा नियमानुसार दिनांक 25.04.2017 को अभ्यावेदन का निस्तारण किया गया, जो हमारे विनम्र मत में उचित एवं विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार के नियमों के उल्लंघन होना परिलक्षित नहीं होता है। अतः अपीलार्थी के उक्त तर्कों में हमें कोई बल प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य